

अधिसूचना

रायपुर 21 फरवरी, 2006

क्रं. एल-8/4/04/ब-4/4 छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध नियमावली, 2006 है ।
(2) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. **परिभाषाएं** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (क) अधिनियम से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005);
 - (ख) प्ररूप से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
 - (ग) 'जीएसडीपी' से अभिप्रेत है अधिनियम में यथापरिभाषित वर्तमान बाजार मूल्य पर छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद;
 - (घ) "स्वयं का राजस्व" से अभिप्रेत है, राज्य के स्वयं के कर तथा करेत्तर राजस्व जैसा कि महालेखाकार द्वारा समुचित रूप से अंकेक्षित वित्त लेखे दर्शाया गया है ।
 - (ङ.) "जोखिम भारित आधार" से अभिप्रेत है जोखिम भारित आधार पर जारी गारंटी के मूल्य का निर्धारण ऐसी गारंटी प्रदान करने के लिये मंगाया जाने की संभावना समाधान कारक समनुदेशित किया गया है ।
 - (च) धारा का अभिप्राय इस अधिनियम की धारा से है,
 - (छ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य;
 - (ज) इसमें प्रयुक्त शब्द और वाक्यांश जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया है उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिये दिया गया है ।
3. **वृहद आर्थिक ढांचा संबंधी विवरण, मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण और राजकोषीय नीति संबंधी कार्य नीति संबंधी विवरण** : (1) वृहद आर्थिक ढांचा संबंधी विवरण, जैसा कि अधिनियम की धारा-4(1) (क) के तहत राज्य सरकार के द्वारा राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा, प्ररूप-एफ-1 के अनुसार होगा ।
 - (2) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण, जैसा कि अधिनियम की धारा-4(3)में विनिर्दिष्ट अंतर्विष्ट सहित धारा-4 (1) (ख) के तहत राज्य सरकार के द्वारा राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा, प्ररूप-एफ-2 के अनुसार होगा ।
 - (3) राजकोषीय नीति संबंधी कार्य नीति विवरण, जैसा कि अधिनियम की धारा 4(4) में विनिर्दिष्ट अंतर्विष्ट सहित धारा-4 (1) ग के तहत राज्य सरकार के द्वारा राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा, प्ररूप-एफ-3 के अनुसार होगा ।

4. प्रकटीकरण (1) राज्य सरकार को वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांग प्रस्तुतीकरण के समय निम्नलिखित विवरणों अधिनियम की धारा-5 के अधीन यथा अपेक्षित प्रकटीकरण देने होंगे:

- (क) प्ररूप डी-1 में राजकोषीय स्थिति के चयनित संकेतकों का विवरण;
- (ख) प्ररूप डी-2 में राज्य सरकार की कुल देयताएं ;
- (ग) प्ररूप डी-3 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित परिशोधन निधि का संचित विवरण,
- (घ) प्ररूप डी-4 में राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण;
- (ङ) प्ररूप डी-5 में बकाया जोखिम भारित गारंटियों का विवरण;
- (च) प्ररूप डी-6 में गारंटी मोचन निधि का विवरण;
- (छ) प्ररूप डी-7 में आस्तियों का विवरण;
- (ज) प्ररूप डी-8 में वृद्धित परन्तु वसूल न की गयी राजस्व प्राप्तियां का विवरण;
- (झ) प्ररूप डी-9 में प्रमुख निर्माण कार्यों और संविदाओं के संबंध में देयताओं सहित भूमि अधिग्रहण प्रभारों के संबंध में शोध्य देयताएं और अदा न किये गये बिलों और आपूर्ति के दावे ।
- (ड.) प्ररूप डी-10 में विहित राजकोषीय संकेतकों की संगणना को प्रभावित कर रहे या प्रभावित करने वाले लेखा मानकों, नीतियों और व्यवहारों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन;
- (ट) प्ररूप डी-11 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिये गये अर्थोपाय अग्रिम /ओव्हर ड्राफ्ट का विवरण;
- (ठ) प्ररूप डी-12 में शासन, सार्वजनिक उपक्रम तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या तथा संबंधित वेतन का विवरण।

(2.) उप नियम (1) से भिन्न (ड.), (ज), (छ) तथा (झ) के अलावा शेष सभी प्रावधानों का संकलन वित्तीय वर्ष 2006-07 के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदानों की मांगों के साथ प्रस्तुत करते समय किया जावेगा । उपनियम (1) के (ड.), (ज), (छ) तथा (झ) के प्रावधानों के अनुसार संकलन वर्ष 2007-08 के बजट के समय प्रस्तुत किया जावेगा।

5. अनुपालन लागू करने संबंधी उपाय :- धारा-6 की उपधारा (1) के अनुसार किये गये आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की त्रैमासिक समीक्षा के परिणाम के रूप में यदि वर्ष 2006-07 से प्रारंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के अंत तक यह निष्कर्ष निकलता है कि-

(एक) कुल ऋणोत्तर प्राप्तियां उस वर्ष के बजट अनुमानों से 40 प्रतिशत से कम हैं,
अथवा

(दो) उस वर्ष के लिये राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के 45 प्रतिशत से अधिक है,

अथवा

(तीन) उस वर्ष के राजस्व घाटा बजट अनुमानों को 45 प्रतिशत से अधिक है तो -

(क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित राज्य सरकार को उपयुक्त उपाय करने होंगे और

(ख) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 3 (दो) के अधीन यथा अपेक्षित वित्त मंत्री दूसरी तिमाही की समाप्ति के तुरन्त बाद के राज्य विधान मंडल के सत्र में, सुधारात्मक उपाय का विवरण देते हुए उस रीति में जो किसी अनुदान हेतु अनुपूरक मांग को वित्त पोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित है और उस वित्तीय वर्ष के राजकोषीय घाट के लिये संभावित है, वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,**

(रेणु जी. पिल्ले)

विशेष सचिव

वित्त

प्ररूप एफ-1
(नियम 3 (1) देखिये)
वृहद आर्थिक ढांचा संबंधी विवरण

1. **राज्य अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन** : (इस पैराग्राफ में उत्पाद की वृद्धि दर की प्रवृत्ति का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा । प्रमुख वृहद आर्थिक संकेतकों को इस प्ररूप के अंत की सारणियों में प्रस्तुत किया जाएगा।)
2. **राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर** : (इस पैराग्राफ में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरों की प्रवृत्ति के विश्लेषण और उनके विन्यास को शामिल किया जाएगा।)
3. **राज्य सरकार के वित्त का विहंगावलोकन** : (इस पैराग्राफ में कर-संग्रहण/राजस्व वसूलीगत प्रवृत्ति का विश्लेषण सहित राज्य वित्तगत विकास और महत्वपूर्ण राजकोषीय घाटा ऋण संकेतक एवं राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिये किए गये उपाय का ब्यौरा होगा । राज्य सरकार के वित्त की प्रवृत्तियां संलग्न प्ररूप में प्रस्तुत किये जाएंगे । इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, संचित शोधन निधि, गारंटी मोचन निधि और जोखिम भारित गारंटियों का निर्गमन तथा भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये अर्थोपाय अग्रिमों संबंधी गतिविधियों को दर्शाया जाएगा । इस पैराग्राफ में स्थानीय निकायों तथा राज्य स्तरीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वित्त का विश्लेषण तथा उनके द्वारा खातों और केन्द्रीय अंतरणों का वार्षिक विवरणों के समेकन/तैयार करने में की गयी प्रगति को भी शामिल किया जाएगा ।)
4. **संभावनाएं** : (यह पिछले खण्डों में प्रस्तुत प्रमुख क्षेत्रों की प्रवृत्तियों के आधार पर निहित पूर्वानुमानों के साथ-साथ वृद्धि की संभावनाओं के मामले का निर्धारण करेगा । राजकोषीय संभावनाओं का निर्धारण भी किया जाएगा)

प्ररूप एफ-1 (निरंतर)

(नियम 3 (1))

वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण

आर्थिक कार्य निष्पादन : एक दृष्टि

सारणी 1: चुनिंदा व्यापक आर्थिक और राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति

	निरपेक्ष मूल्य (करोड़ रूपये)		प्रतिशत परिवर्तन	
	अप्रैल - रिपोर्टिंग अवधि		अप्रैल - रिपोर्टिंग अवधि	
	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष
वास्तविक क्षेत्र 1. उत्पादन लागत पर सकल घरेलू (हजार करोड़ रूपये) (क) वर्तमान मूल्य पर (ख) 1993-94 के मूल्य पर 2. कृषि उत्पादन 3. उत्पादन के सूचकांक 4. तृतीयक क्षेत्र उत्पादन				
सरकार की वित्तीय स्थिति 1 राजस्व प्राप्तियां (2+3) 2 कर राजस्व (2.1+2.2) 2.1 निजी कर राजस्व 2.2 केन्द्रीय करों में राज्यों का अंश 3 करेतर राजस्व (3.1+3.2) 3.1 राज्यों के करेतर राजस्व 3.2 केन्द्र के अंतरण 4 पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7) 5 ऋणों की वसूली 6 अन्य प्राप्तियां 7 उधार और अन्य देनदारियां 8 कुल प्राप्तियां (1+4) 9 योजनेत्तर व्यय 10 राजस्व लेखा				

जिसमें से : 11 (क) ब्याज भुगतान (ख) अनुषंगी (ग) मजदूरी और वेतन (घ) पेंशन भुगतान 12 पूंजी खाता 13 योजना व्यय 14 राजस्व खाता 15 पूंजीगत खाता 16 कुल व्यय (9+13) 17 राजस्व व्यय (10+14) 18 पूंजीगत व्यय (12+15) 19 राजस्व घाटा (17+1) 20 राजकोषीय घाटा(16-(1+5+6)) 21 प्रारंभिक घाटा (20+11 क) ज्ञापन:				
--	--	--	--	--

* दिनांक उसी अवधि से संबंधित है जिसकी चालू वर्ष के लिये सूचना उपलब्ध है । तुलना को सुविधाजनक बनाने के लिये पिछले वर्ष की तारीख को चालू वर्ष की उसी अवधि के लिये लिया गया है । तदनुसार अलग-अलग मदों के लिए रिपोर्टिंग अवधि अलग हो सकती है ।

प्ररूप एफ-2
(नियम 3 (2) देखिये)
मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण

क. राजकोषीय संकेतक-चालू लक्ष्य

	पिछला वर्ष (वर्ष-2) वास्तविक	चालू वर्ष (वर्ष-1) बजट अनुमान (ब.अ.)	चालू वर्ष (वर्ष-1) संशोधित अनुमान (स.अ.)	आगामी वर्ष (वर्ष) बजट अनुमान (ब.अ.)	अगले दो वर्षों के लिए लक्ष्य वर्ष+1 वर्ष+2	
1. कुल राजस्व प्राप्तियों (टीआरआर) के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा						
2. राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा						
3. राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के रूप में कुल बकाया देयताएं						
4. अन्य लक्ष्य: (1). ब्याज भुगतान राज्य के स्वयं के राजस्व के प्रतिशत के रूप में (2). प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में (3). ब्याज भुगतान तथा पेंशन कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में						

ख. राजकोषीय संकेतकों में निहित पूर्वानुमान

1. राजस्व प्राप्ति

- (क) कर-राजस्व क्षेत्रवार और राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दरें
(ख) करेत्तर राजस्व -नीतिगत बल

- (ग) स्थानीय निकायों को अंतरण
- (घ) कुल कर राजस्व के प्रति अपने कर राजस्व का अंश
- (ङ) कुल करेतर राजस्व के प्रति अपने करेतर राजस्व का अंश

2. पूंजीगत प्राप्तियां- ऋण स्टॉक, चुकौती, नये ऋण और नीतिगत बल

- (क) केन्द्र से ऋण और अग्रिम
- (ख) राष्ट्रीय अल्प बचत कोष (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियां
- (ग) ऋण तथा अग्रिम की वसूली
- (घ) वित्तीय संस्थाओं से उधार
- (ङ.) अन्य प्राप्तियां (शुद्ध)- अल्प बचत, सामान्य भविष्य निधि आदि
- (च) अदेय देयतायें - आंतरिक ऋण तथा अन्य दायित्व

3. कुल व्यय नीतिगत बल

- (क) राजस्व खाता
 - (1) ब्याज भुगतान- (क) वर्ष के दौरान उधारियों पर (कुल और श्रेणीवार),
(ख) बकाया देयताओं पर- (कुल और श्रेणीवार)
 - (2) प्रमुख आर्थिक सहायता
 - (3) वेतन
 - (4) पेंशन
 - (5) अन्य
- (ख) पूंजीगत खाता
 - (1) ऋण और अग्रिम
 - (2) पूंजीगत परिव्यय

4. सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में वृद्धि

ग. निम्नलिखित संबंधित संवहनीयता का आंकलन

(1) सामान्यतः प्राप्तियों और व्ययों तथा खासतौर से राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन - मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में चालू वर्ष और तत्पश्चात से वर्षों में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपेक्षित परिवर्तनों के निर्धारण सहित कर - राज्य के सकल घरेलू उत्पाद अनुपात, राज्य के अपने कर - राज्य के सकल घरेलू उत्पाद अनुपात तथा केन्द्रीय कर में राज्यों के अंश - राज्य के सकल घरेलू उत्पाद अनुपात निर्दिष्ट कर सकते हैं, इसमें करेतर राजस्वों तथा तत्संबंधी नीतियों पर विचार किया जा सकता है। कुल उद्देश्यों को पूरा करने के लिये प्रस्तावित उपायों पर खासतौर से बल देते हुए योजना और आयोजनेत्तर दोनों राजस्व खाते संबंधी व्यय पर भी चर्चा की जा सकती है। इसमें वेतन, पेंशन, आर्थिक सहायता और ब्याज-

अदायगी संबंधी व्यय शामिल करने की नीतियों पर विचार किया जा सकता है । पूंजीगत प्राप्तियों और बनाई गई नीति के अनुसार उधारियों एवं अन्य देयताओं का मूल्यांकन किया जायेगा । विवरण में सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान भी दिये जायेगे और इस पर उद्देश्यों की संवहनीयता को पूरा करने में निहित संकेत के पूर्वानुमान के आधार पर चर्चा की जायेगी ।

(2) उत्पादक आस्तियों के निर्माण के लिये बाजार उधारियों सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग - मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में विभिन्न श्रेणियों में उत्पादन आस्तियों के निर्माण के लिये पूंजीगत प्राप्तियों के प्रस्तावित उपयोग को निर्दिष्ट करेगा । इन श्रेणियों के बीच प्रस्तावित परिवर्तनों का भी उल्लेख किया जायेगा तथा सरकार की समग्र नीति के अनुरूप इस पर विचार किया जायेगा ।

(3) आगामी दस वर्षों के लिये बीमांकिक आधार पर आंकी गयी अनुमानित वार्षिक पेंशन देयतायें - यदि अधिनियम लागू करने के बाद प्रथम तीन वर्षों की अवधि में बीमांकित आधार पर पेंशन देयताओं की गणना करना संभव ना हो तो राज्य सरकार इस अवधि के दौरान इसकी वृद्धि दर की प्रवृत्ति के आधार पर अर्थात् उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक पेंशन अदायगियों की वृद्धि की औसत दर पर अनुमान लगा सकेगा ।

प्ररूप एफ - 3

[नियम 3 (3)देखें]

राजकोषीय नीति कार्य-योजना विवरण

क. राजकोषीय नीति का विहंगावलोकन : (इस पैराग्राफ में फिलहाल प्रचलित राजकोषीय नीति का विहंगावलोकन प्रस्तुत किया जाएगा।)

ख. आगामी वर्ष के लिए राजकोषीय नीति : (इस पैराग्राफ में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित से संबंधित छह उप पैराग्राफ होंगे।)

(1) कर नीति

कर नीति संबंधी उप पैराग्राफ में आगामी वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किये जाने वाले प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों को प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें विभिन्न करों में छूट का निर्धारण और यह कर-छूट संबंधी सिद्धांतों से किस प्रकार संबंधित है, का उल्लेख किया जाएगा।

(2) व्यय नीति

व्यय नीति के अधीन, व्यय के लिये आबंटन में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन को दर्शाना होगा । इसमें हिताधिकारियों के लाभ और लक्ष्य समूह के संबंध में सिद्धांतों का निर्धारण भी निहित होगा ।

(3) उधारियां और अन्य देयताएं, उधार देना और निवेश

उधारियों से संबंधित इस उप पैराग्राफ में भा.रि.बैंक से अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट सुविधा लेने के साथ-साथ आंतरिक ऋण से संबंधित नीति, सरकारी ऋण, निवेश और अन्य गतिविधियां, साथ ही औसत परिपक्वता संरचना, पुनर्भुगतान आदि का शोधन दर्शाया जाएगा । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उधारियां और विशेष प्रयोजन के मान, उधार देने, निवेश, सरकारी मालों पर उपभोक्ता प्रभारों का निर्धारण और अन्य क्रियाकलापों की उपयोगिता और विनिधान तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ऐसी गतिविधियां, जिनका सक्षम बजटीय निहितार्थ हो और जिनके पास प्रमुख राजकोषीय उपाय हो तथा इनमें से प्रत्येक से संबंधित लक्ष्य दर्शाना होगा ।

(4) संचित शोधन निधि

इस उप पैराग्राफ में संचित शोधन निधि से संबंधित नीति निर्दिष्ट की जाएगी ।

(5) आकस्मिक व्यय और अन्य देनदारियां

आकस्मिक व्यय और अन्य देनदारियां संबंधी नीति में कोई भी परिवर्तन, खासतौर से गारंटी जिनके सक्षम बजटीय निहितार्थ हो,को दर्शाना होगा । विशेष प्रयोजन लिखित तथा अन्य समकक्ष लिखतों द्वारा उधारियों से संबंधित नीति में किसी भी परिवर्तन का, जहां चुकौती संबंधी देनदारियां राज्य सरकार द्वारा की जानी है, को दर्शाना होगा । गारंटी मोचन निधि जुटाने और जारी गारंटियों के लिए कमीशन प्रभार/संग्रहित प्रभार को भी निर्दिष्ट किया जाएगा।

(6) उपभोक्ता प्रभारों का उद्ग्रहण

सार्वजनिक सेवाओं के उपभोक्ता प्रभारों के उद्ग्रहण में प्रस्तावित प्रत्येक परिवर्तन का उल्लेख किया जायेगा ।

(ग) आगामी वर्ष के लिए कार्ययोजनागत प्राथमिकताएं

((1) कर, करेतर और अन्य प्राप्तियों के माध्यम से आगामी वित्त वर्ष के लिए संसाधन संग्रहण का उल्लेख करना होगा ।

(2) आगामी वर्ष में व्यय प्रबंधन निहित व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख करना होगा ।

(3) आगामी वर्ष में प्रस्तावित लोक ऋण प्रबंधन से संबंधित प्राथमिकताओं को दर्शाया जाएगा।)

(घ) नीतिगत परिवर्तनों के लिए औचित्य

((1) आगामी बजट में प्रस्तावित करों के संबंध में, मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में निहित नीतिगत परिवर्तनों के औचित्य का उल्लेख किया जाएगा।

(2) आर्थिक सहायता और पेंशन संबंधी व्यय सहित अनुमानित व्यय के संबंध में प्रमुख नीतिगत परिवर्तनों के औचित्य को दर्शाया जाएगा ।

(3) लोक ऋण के प्रबंधन में प्रस्तावित, यदि किसी परिवर्तन का औचित्य है तो उसे दर्शाया जाएगा ।

(4) सार्वजनिक उपयोगिता के लिये परिवर्तनों के संबंध में प्रस्तावित किसी परिवर्तन की आवश्यकता का उल्लेख किया जाएगा।)

(ड.) नीतिगत मूल्यांकन

(इस पैराग्राफ में मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण राजकोषीय घाटा कम करने और निर्दिष्ट उद्देश्यों के संबंध में आगामी वर्ष के लिए राजकोषीय नीति में प्रस्तावित परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जाएगा ।)

प्ररूप डी-1
(देखें नियम-5)
चुनिंदा राजकोषीय संकेतक

	मद	पिछला वर्ष (वास्तविक)	चालू वर्ष (संशोधित अनुमान)
1	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा		
2	सकल राजकोषीय घाटा के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा		
3	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा		
4	टीआरआर के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा		
5	कुल देयताएं- जीएसडीपी अनुपात (%)		
6	कुल देयताएं- कुल राजस्व प्राप्तियां (%)		
7	कुल देयताएं- राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां (%)		
8	राजस्व व्यय के प्रति राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां (%)		
9	सकल राजकोषीय घाटा के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत परिव्यय		
10	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान		
11	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में वेतन व्यय		
12	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में पेंशन व्यय		
13	कुल संवितरण के प्रतिशत के रूप में विकासेतर व्यय		
14	कुल संवितरण के प्रतिशत के रूप में केन्द्र से सकल अंतरण		
15	टीआरआर के प्रतिशत के रूप में करेतर राजस्व		

प्ररूप डी-2
(देखें नियम-5)

क. राज्य सरकार देयताओं के घटक

(राशि करोड़ में)

श्रेणी	राजकोषीय वर्ष के दौरान जुटायी गयी		चालू राजकोषीय वर्ष के दौरान चुकौती/शोधन		बकाया राशि (मार्च के अंत में)	
	पिछला वर्ष (वास्तविक)	चालू वर्ष (सं.अ.)	पिछला वर्ष (वास्तविक)	चालू वर्ष (सं.अ.)	पिछला वर्ष (वास्तविक)	चालू वर्ष (सं.अ.)
बाजार उधार						
केंद्र से ऋण						
एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां						
वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार						
भा.रि.बै. से डब्ल्यूएमए/ओडी						
अल्प बचत, सामान्य भविष्य निधि आदि						
आरक्षित निधियां/जमा						
अन्य देयताएं						
क. कुल संचित निधि देयताएं						
अल्प बचत, सामान्य भविष्य निधि आदि						
आरक्षित निधियां/जमा						
लोक लेखे के अन्य दायित्व						
ख. कुल लोक लेखा देयतायें						
ग. सार्वजनिक उपक्रम तथा एस.पी.						

व्ही. हेतु ऋण जिनके लिये राज्य बजट से ब्याज तथा मूलधन का भुगतान किया जाता है						
कुल देयतायें						

ख. राज्य सरकार की देयताओं में भारित औसत ब्याज दरें

प्रतिशत श्रेणी	राजकोषीय वर्ष के दौरान जुटायी गयी		बकाया राशि (मार्च-अंत की स्थिति में)	
	पिछला वर्ष (वास्तविक)	चालू वर्ष (सं.अ.)	पिछला वर्ष (वास्तविक)	चालू वर्ष (सं.अ.)
बाजार उधार (एस.एल.आर.)				
बाजार उधार(नॉन एस.एल.आर.)				
केन्द्र से ऋण				
एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां				
वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार				
भारिबै से डब्ल्यूएमए/ओडी				
अल्प बचत, भविष्य निधि आदि				
रिजर्व निधि/जमाराशि				
अन्य देयताएं				
क. कुल संचित निधि देयताएं				
अल्प बचत, सामान्य भविष्य निधि आदि				
आरक्षित निधियां/जमा				
लोक लेखे के अन्य दायित्व				
ख. कुल लोक लेखा देयतायें				
ग. सार्वजनिक उपक्रम तथा एस. पी.व्ही. हेतु ऋण जिनके लिये राज्य बजट से ब्याज तथा मूलधन का भुगतान किया जाता है				
कुल देयतायें				

^ भारित औसत ब्याज दर जहां उधार ली गयी राशि संबंधित भार है । इसका परिकलन संविदागत आधार पर किया जाता है तथा तत्पश्चात् वार्षिक आधार पर किया जाता है ।

* भारित औसत ब्याज दर जिसमें राज्य सरकार देयताओं के संबंधित घटक की राशि भार है ।

प्ररूप डी - 4
(देखें नियम 5)

सरकार द्वारा दी गयी गारंटी

श्रेणी (ब्रैकेट के अंतर्गत गारंटियों की संख्या)	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान गारंटी अधिकतम राशि (रू. करोड़)	वर्ष के आरंभ में बकाया (रू. करोड़)	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वृद्धि (रू. करोड़)	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कटौती (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रदत्त नयी गारंटी को छोड़कर) (रू. करोड़)
1	2	3	4	5

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान (रू. करोड़)		वर्ष के अंत में बकाया (रू. करोड़)	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क (रू. करोड़)		टिप्पणी
चुकायी गयी	न चुकायी गयी		प्राप्य	प्राप्त	
6	7	8	9	10	11

टिप्पणी: रिपोर्टगत वर्ष उस वर्ष से जिसके लिये वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांग रखी गई है, दो वर्ष पीछे का वर्ष होगा ।

प्ररूप डी-5
(देखे नियम-5)

जोखिम-भारित गारण्टी बकाया

(राशि करोड़ में)

चूक सम्भाव्यता	जोखिम भार (प्रतिशत)	पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष में बकाया राशि	पिछले वर्ष और चालू वर्ष में जोखिम भारित बकाया गारण्टी
प्रत्यक्ष देयताएँ	100		
उच्च जोखिम	75		
मध्यम जोखिम	50		
निम्न जोखिम	25		
अति निम्न जोखिम	5		
कुल बकाया			

टीप- विभिन्न जोखिम श्रेणियों के लिये जोखिम भार पूर्व में विनिर्दिष्ट किया गया है।

प्ररूप डी - 6
(देखें नियम-5)

गारण्टी विमोचन निधि (जी.आर.एफ.)

(राशि करोड़ में)

पिछले वर्ष के अंत में याचित बकाया गारण्टी	पिछले वर्ष के अंत में जी.आर.एफ. में बकाया राशि	चालू वर्ष के दौरान याचना संभावित बकाया गारण्टी	चालू वर्ष के दौरान जी. आर.एफ. में जोड़	चालू वर्ष के दौरान जी. आर.एफ. से आहरण	चालू वर्ष के अंत में जी. आर.एफ. में बकाया राशि
1	2	3	4	5	6

टिप्पणियाँ:

- (1.) जी.आर.एफ. की शर्तों के अनुसार प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार से अपेक्षित है कि याचित बकाया गारण्टियों के न्यूनतम 1/5 की समान राशि तथा वर्ष के दौरान जारी वर्धित गारण्टियों के परिणाम स्वरूप याचित समराशि का अंशदान करें।
- (2.) पिछला वर्ष से तात्पर्य है कि चालू वर्ष से पिछला वर्ष ।

प्ररूप डी-7
(देखें नियम-5)

आस्तियों का विवरण

	सूचनाप्रद वर्ष के प्रारंभ में आस्तियां	सूचनाप्रद वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियां	सूचनाप्रद वर्ष के अंत में आस्तियों का संचयी जोड़
	बही मूल्य (रू. करोड़)	बही मूल्य (रू. करोड़)	बही मूल्य (रू. करोड़)
वित्तीय आस्तियाँ: उधार और अग्रिम- स्थानीय निकायों को ऋण कंपनियों को उधार अन्य को उधार साम्या विनिधान- शेयर बोनस शेयर भा.स.दिनांकितप्रतिभूतियाँ/खजाना बिलों में निवेश- 14 दिवस मध्यकालिक खजाना बिलों में निवेश अन्य वित्तीय विनिधान (कृपया स्पष्ट करें) कुल			
भौतिक आस्तियाँ: भूमि भवन-कार्यालय रिहायशी सड़कें पुल सिंचाई परियोजनाएँ विद्युत परियोजनाएँ अन्य पूंजीगत परियोजनाएँ मशीनरी और उपस्कर कार्यालय उपकरण वाहन कुल			

टिप्पणियाँ:

1. केवल दो लाख रूपए प्रारंभिक मूल्य से अधिक की आस्तियाँ लेखबद्ध हों ।
2. रिपोर्टगत वर्ष का संदर्भ वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांग प्रस्तुत किए जाने वाले वर्ष के पहले के दूसरे वर्ष से है ।
3. भौतिक आस्तियों के संबंध में विवरण सरकार द्वारा रख-रखाव किए जाने वाली आस्ति-पंजी के आधार पर तैयार हो । उसमें इंगित मूल्य बही मूल्य हो, अर्थात् मूल्यहास/हानि के लिये निवलकृत अधिग्रहण मूल्य ।
4. भौतिक आस्तियों के संबंध में जानकारी देने लायक स्थिति में जो राज्य हैं, वे शुरू में मात्र वित्तीय आस्तियों पर जानकारी दे सकते हैं । राज्य सरकार राजपत्र में नियमों की अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से ---- वर्षों के भीतर अपनी भौतिक आस्तियाँ प्रकट कर सकते हैं ।

	कर										
	मोटर स्परिट और चिकनाई										
	बिक्री कर पर अधिभार										
	राज्य उत्पाद शूलक										
	वाहनों पर कर										
	अन्य कर										
	योग										

टिप्पणी : रिपोर्टगत वर्ष उस वर्ष से जिसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांग रखी गई है, दो वर्ष पीछे का वर्ष होगा ।

प्ररूप डी-9
(देखें नियम-5)
विविध देयताओं का विवरण : बकाया

(रू. करोड़)

	बकाया राशि \$
प्रमुख कार्य और संविदाएँ	
भूमि अधिग्रहण, प्रभारों के संबंध में प्रतिबद्ध देयताएँ	
कार्य और आपूर्ति पर अप्रदत्त बिलों के संबंध में दावे	

\$ बकाया रकम चालू वर्ष के पूर्व वर्ष की मार्चान्त स्थिति से संबंधित ।

प्ररूप डी-10
(देखें नियम-5)

लेखा मानकों, नीतियों तथा व्यौहारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का विवरण :
(विहित राजकोषीय संकेतकों की संगणना को प्रभावित कर रहे या करने वाले)

क . जी.ए.एस.ए.बी. की अनुशंसा अनुसार मानकों में प्रस्तुत किये परिवर्तन

ख . जी.ए.एस.ए.बी. की अनुशंसा के बिना राज्य के नियमों में किये गये परिवर्तन

ग.. वित्त लेखें में महालेखाकार के वित्त लेखे के संबंध में टिप्पणी तथा इसका वित्तीय संकेतकों पर प्रभाव

घ . राजस्व घाटे की संगणना के संबंध में तथा राजकोषीय घाटे की संगणना में योग जो कि भारत सरकार द्वारा ऋण समेकित एवं राहत योजना के लिये किया गया है ।

प्ररूप डी-11
(देखें नियम-5)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिये गये अर्थोपाय अग्रिम /ओव्हर ड्राफ्ट का विस्तृत विवरण

विवरण	राशि /दिवस
गत वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये अर्थोपाय की अग्रिम की औसत राशि *	
अर्थोपाय अग्रिम में दिनों की संख्या	
उच्चतम अर्थोपाय अग्रिम (राशि दिनांक के साथ)	
भारतीय रिजर्व बैंक से ओव्हर ड्राफ्ट की औसत राशि *	
ओव्हर ड्राफ्ट के दिनों की संख्या	
ओव्हर ड्राफ्ट की स्थिति	
ओव्हर ड्राफ्ट पर किया गया ब्याज भुगतान	

* अर्थोपाय अग्रिम /ओव्हर ड्राफ्ट के औसत राशि की गणना, प्रत्येक दिवस (अवकाश सहित) में अर्थोपाय अग्रिम की अदेयताओं का योग तथा अप्रैल रिपोर्टिंग अवधि हेतु कुल दिवसों की संख्या से विभाजित कर की गई है ।

प्ररूप डी-12
(देखें नियम-5)
कर्मचारियों का विवरण

कर्मचारियों का वर्ग	गत वर्ष (वास्तविक)		वर्तमान वर्ष (पुनरीक्षित)		आगामी वर्ष(बी.ई.)	
	कर्मचारियों की संख्या	वेतन पर होने वाला व्यय	कर्मचारियों की संख्या	वेतन पर होने वाला व्यय	कर्मचारियों की संख्या	वेतन पर होने वाले व्यय की रकम
शासकीय कर्मचारी						
सार्वजनिक उपक्रम						
शहरी नगरीय निकाय						
ग्रामीण नगरीय निकाय						
अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थायें						
बोर्ड तथा अन्य						
विश्वविद्यालय						
कुल						